[Shri Shantaram Potdukhe]

provided in the Central Budget for animal husbandry and agriculture. They are essentially State subjects. The Annual plan of the Centre, States and Union Territories for 1991-92 provides Rs. 14,757 crores as compared to Rs. 12,381 crores in the 1990-91 Plan for agriculture and rural development, special area programmes, irrigation and flood control. This year the allotment is more, not less. Dr. Thulasi Reddy has spoken about the collapse of PDS in Andhra Pradesh. My friend, Mr. Kamaluddin Ahmed, will reply to that.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : He will take it up when the discussion on his Department comes.

SHRI SHANTARAM POTDUKHE : I have already replied to the points of inflation and other things raised by Kamalji. Now, I request this House to return the Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : The question is :

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1992-93, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHANTARAM POTDUKHE : Sir, I beg to move :

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

The VICE-CHAIRMAN PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : Now we will take up discussion on the working of the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution. Mr S. S. Ahluwalia. (*Interruptions*). Where is he ?

SOME HON. MEMBERS : Please call another speaker.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : He has come.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले ... **(व्यवधान)**

SHRI RAJ MOHAN GANDHI : Sir, he should apologise for not being present in the House.

SHRI S. S. AHLUWALIA : I am very sorry. I thought that you will take a little more time to pass this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR) : The House is waiting eagerly to listen to you.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जैसे अति महत्वपूर्ण मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, हर साल हम लोग साधारण बजट वित्त विधेयक विनियोग विधेयक को चर्चा करके पास करते हैं पर विभिन्न विभागों के या विभिन्न मंत्रालयों के कार्यकरण के बारे में या उनकी कार्य-प्रणाली के बारे में चर्चाएं बहुत कम होती हैं और खासकर के महोदय बजट तो हर बार पास होता है पर कभी वित्त विभाग के कार्यालय पर या कार्य-प्रणाली पर चर्चा नहीं हुई है । यहां महंगाई के बारे में तो रोज चर्चा होती है कि महंगाई क्यों हो रही है पर नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय के मामले में चर्चा होनी महत्वपूर्ण है ।

महोदय, चर्चा में भाग लेने के पहले मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि इस मंत्रालय के अंतर्गत क्या-क्या विभाग आते हैं या क्या-क्या सब्जेक्ट आते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम नागरिक आपूर्ति या उपभोक्ता के मामले को या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में इस विभाग को रखे हुए हैं पर इस विभाग के अंतर्गत फूड कारपोरेशन आफ इंडिया जैसी संस्था नहीं आती हैं। महोदय, नागरिक आपूर्ति के लिए अगर चावल लेना हो या गेहूं लेना हो तो फूड कारपोरेशन आफ इंडिया से लेते हैं पर वह इनके अंतर्गत नहीं है, इस मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। महोदय, इस मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक व्यापार, फारवर्ड कांट्रेक्ट रेगुलेशन, आवश्यक वस्तु अधिनियम, काला-बजारी नियंत्रण तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, उपभोक्ता सहकारिता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन, पैकेज वस्तुओं पर नियंत्रण, वनस्पति एंव उससे संबंधित उद्योगों पर नियंत्रण तथा उसकी कीमतों पर निगरानी, वनस्पति डायरेक्टोरेट का संचालन, नाप-तोल, ट्रेड मार्क और भारतीय मानक ब्यूरो का संचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्य आते हैं, पर मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है—फूड कारपोरेशन आफ इंडिया जिससे कि इनको ज्यादा से ज्यादा जो नागरिक आपूर्ति के लिए या फेयर प्राइस शॉप्स के लिए या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए, जो सामान लेते है, वह वहीं से लेते हैं और वह इनके अधीन नहीं है। और वह मंत्रालय इनके अधीन नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से सदन के और भी सदस्य बोलेंगे, यह विभाग भी इनके अन्तर्गत आने की जरूरत है तब उस पर अंकुश लग सकता है। क्योंकि आम देखा गया है कि जब फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया से भरे हुए ट्रक चलते हैं तो लोडिंग टाईम पर उनका वेट कुछ और होता है और अन-लोडिंग टाईम पर उसमें हैंडलिंग लॉसेज दिखाकर 5 परसेंट, 10 परसेंट या 20 परसेंट दिखा दिया जाता है या लोडिंग पॉइंट पर उसका वेट ज्यादा दिखाया जाता है। कहा जाता है कि मोइस्चर था और दस किलोमीटर पर उसका मोइस्चर कम हो जाता है। वह कहते हैं कि

That is a moisture loss

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : धूप तेज रहती होगी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : धूप तेज रहती है या बोरियों की गरमी तेज रहती है, यह तो भगवान जानता है। यह हैंडलिंग लॉस और मोइस्चर लॉस जो है, यह उसको भोगना पड़ता है जिसके पास सप्लाई होती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस प्रणाली के बारे में अगर हम सोचे क्योंकि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है और उस मुल्क के सबसे गरीब राज्य—बिहार से मैं आता हूं। ..... **(व्यवधान)** मैंने सुबह ही अखबार में पढ़ा है—पुअरस्ट स्टेट।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): It is a most resourceful State.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : नहीं-नहीं रिसोर्सफुल तो है, एक्सप्लोएटेशन ही बहुत ज्यादा है।

श्री वी० नारायणसामी (पांडिचेरी) : कौन एक्सप्लोएट कर रहा है। लालू यादव एक्सप्लोएट कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस गरीब, मुल्क में, जब एक समय था कि इस मुल्क की आधी से ज्यादा जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती थी उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं ली गयी और बहुत सारे कानून बनाये गये। परन्तु उन कानूनों को पारित करना, उन कानूनों का पालन करना, इसमें बहुत सारी कमियां रह गयी थी, बहुत सारी खामियां रह गयी। जिस मकसद से, जिस हिम्मत से और जिस टारगेट से यह कानून बनाये गये थे उनको पालन करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम सिविल सप्लाई के बारे में सोचते

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

हैं, आदमी का दिमाग सीधा जाता है कि महंगाई इतनी हो रही है उस पर सिविल सप्लाई विभाग क्या कर रहा है ? साधारण आदमी का प्रश्न आता है और कहीं उसको सिविल सप्लाई का इंस्पेक्टर नजर आ जाये या मिनिस्टर नजर आ जाये तो उस पर लोग टूट पड़ते हैं कि क्या कर रहे हैं। इतनी लम्बी-लम्बी कतारें हैं इतनी लम्बी-लम्बी लाईनें हैं। कहीं कैरोसीन की लाईन है तो कहीं राशन की लाईन है और फेयर प्राइस शॉप की जो संख्या बढ़नी चाहिए, वह नहीं बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल कुछ फैसले लिये, जिसमें करीब 3.9 लाख फेयर प्राइस शॉप्स हैं और करीब सत्रह सौ ब्लौक्स में जो नया पी० डी० एस० सिस्टम स्टार्ट करने की बात सोची गयी है। उस नये पी० डी० एस० सिस्टम में खास तौर से महोदय, ध्यान रखा गया है कि

Desert Development Programme (DDP), Drought-prone Area Programme (DPAP), Designated Hill Area (RHA), Integrated Tribal Development Project (ITDP)

के इलाके जहां पर हैं, जिस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया है वहां पर ऐसे पी० डी० एस० की आउटलेट खोलने की बात सोची गयी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के उस इलाके से आता हूं जो साल में एक बार तो जरूर बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। चाहे बारिश हमारे यहां हो या नेपाल की तराई पर हो, साल में कभी-न-कभी एक बार नॉर्थ बिहार में बाढ़ का पानी हमारे खेतों में भर जाता है और वहां के गांव के लोग उस बाढ़ से ग्रसित लोगों के बारे में वहां पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम कैसे चलेगा या वहां के बारे में ड्रौट प्रोन एरिया के बारे में आपने लिया, तो फलड प्रोन एरिया के बारे में क्या आइडेंटिफाई किया है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

महोदय, एक और चीज़ बड़ी ध्यान में आती हर एक कामन मैन का एक रिएक्शन है कि हमें राशन क्यों नहीं मिल रहा। तो साहब, जाली राशन कार्ड हैं, हरेक आदमी का यही रिऐक्शन है। वह दुकान वाला क्या करता है ? जाली राशन कार्ड ले रखें हैं। उन पर ज्यादा गेहूं लेता है, चावल लेता है, चीनी लेता है। कोटे में ज्यादा मिलता है, राशन कार्ड वाले असली उपभोक्ता कम हैं, उनको देकर बाकी जो बचता है वह काले बाजार में बेचता है। मुझे पता नहीं है मंत्री महोदय ने इसके बारे में क्या एसेस्मेंट कराया है लेकिन 1991 का जो सेंसस हुआ है वह आपके सामने है। क्या आपने कभी कोशिश की है कि जिस इलाके की पापुलेशन इतनी है, सपोज एक लाख है तो उसमें कितने यूनिट के राशन कार्ड बनने चाहिएं ? क्या उससे ज्यादा के राशन कार्ड वहां पर उपलब्ध हैं ? कभी आपने उसको कंपेयर करने की कोशिश की है या आपके मंत्रालय में ऐसी कोई मशीनरी है जो इसको कंपयर करती हो ?

महोदय, मैंने पिछले दिनों भारतीय जनसंख्या और उम्र के हिसाब से भारतीय वोटरों के बारे में कंपेरिजन करने की कोशिश की थी। तो मैंने इसमें पाया था कि करीब पांच करोड़ की पापुलेशन का फर्क आता था। पांच करोड़ की पापुलेशन का फर्क उस ऐज ग्रुप की और वोटर्स की संख्या में था। यह एक बहुत बड़ा फर्क है और अगर ऐसे ही पांच करोड़ राशन कार्ड का हिसाब या पांच करोड़ यूनिट के राशन कार्ड का फर्क कहीं नजर आ गया तो यह हमारे लिए वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूं और मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कि हम लोगों की जो प्रोक्योरमेंट प्राईस है राईस की या व्हीट की या एडिबल ऑयल्स की और जो इशू प्राइस है उसमें काफी फर्क है और इस पर काफी सब्सिडी मिलती है। अगर हम सब्सिडी इन जाली राशन कार्डों पर दे रहे हैं जिनका कोई असली मालिक नहीं है, जिनका कोई लेनदार नहीं है तो यह पैसा किसी व्यक्ति विशेष के

या किसी धन्ना सेठ के पेट में जा रहा है पर जिस जनता के लिये या जिस गरीब पब्लिक के लिए जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जिसके लिए यह प्रावधान किया गया है, वह फायदा उन तक नहीं पहुंचता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो जरा बताने की कृपा करेंगे कि हमारी टोटल पापुलेशन का कितना एरिया पापुलेशनवाइज वह फेयर प्राईस शॉप्स के थ्रु कवर करते हैं और कितना एरिया, वैसे तो कहा है कि 1700 ब्लाक हैं, पर पापुलेशन-वाईज कितना एरिया कवर करते हैं और इन दोनों इलाकों में कितनी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं।

महोदय, कई बार कई तरह के सुझाव आए हैं। लोगों ने बहुत सारे सेमिनार्स में बहुत सारी डिबेट्स में कहा कि हमारे यहां दो तरह के राशन कार्ड होने चाहिएं–एक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए दूसरा गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए। बहुत तरह के विचार आए पर पता नहीं मंत्रालय ने इस पर गौर किया कि नहीं किया क्योंकि मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

महोदय, संसद ने इसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट 1955 के माध्यम से और प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट 1990 के माध्यम से इस मंत्रालय को बहुत शक्ति प्रदान की है। पर कभी आप इनसे पूछिए कि आपने कितने काला बाजारियों को पकड़ा है और उनको पकड़ कर आपने कितने लोगों को सजा दी है या कितने लोगों को सजा देने में आप सक्षम हुए हैं क्योंकि एक तरफ तो वह एसेंशल कमोडिटीज ऐक्ट के माध्यम से गिरफ्तार होते हैं और दूसरी तरफ कांस्टीट्यूशन का हवाला देकर छूटकर निकल जाते हैं। तो आप कृपा करके सदन को बताएंगे कि आज तक पिछले पांच सालों में कितने काला बाजारिये पकड़े गए और उनमें से कितनों को सजा हुई। अगर इन प्रावधानों को, इन गिरफ्तारियों को, इन नंबरियों को, इन कचहरियों के फैसलों को ध्यान से देखें तो बड़ा अफसोस होता है, बड़ी ग्लूमी पिक्चर सामने आती है और ऐसा मालूम होता है कि हर साख पै उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा।.. (व्यवधान) मैं समझता हूं कि मंत्रालय ढिंढोरा बहुत पीटता है कि इतने छापे मारे हैं, इतने व्यापारी पकड़े हैं और नतीजा वही ढांक के तीन पात। नतीजा तो हमारे सामने पेश होता है वह बिग जीरो है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के मैनीफैस्टो में हम लोगों ने जो कहा था कि एक हजार दिन पूरे होने पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार लाएंगे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किस तरह से सुधार करेंगे इस बारे में एक कमिटमेंट की थी वह जनवरी 1992 में बाड़मेर में हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंहराव जी ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रोग्राम लांच करके राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत के साथ उसकी शुरुआत की है लेकिन अभी तक जो उसकी रिपोर्ट आ रही है वह तो सही है, पर वह कितने दिन सही रिपोर्ट चलेगी, यह देखने की जरूरत है। घर में आप कोई कर्मचारी रख लीजिए तो उसको जो हिस्से का काम है वह भी करता है और जो हिस्से में नहीं है वह भी करता है अपनी वफादारी दिखाने के लिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो प्रणाली हमने शुरू की है उसमें काफी ऐफिशियेंसी वह दिखा रहे हैं, लेकिन वह कितने दिन तक होगी क्योंकि महोदय जब राशन शॉप पर आदमी खड़ा होता है तो उसको यह कहा जाता है कि आज गेहूं नहीं है, चीनी है। अगर उसने चीनी लेनी है तो उसको कहा जाता है कि कल आइएगा। दूसरे दिन जब वह जाता है और कहता है कि चीनी भी दे दो, चावल भी और गेहूं भी। तो वह कहता है कि चीनी नहीं है। आज तक मंत्रालय यह व्यवस्था नहीं कर सका कि उसी वक्त उसको

दुकान वाले से चावल, चीनी और गेहूं तीनों एक साथ मिल जाए। विचार अलग अलग हैं। कोई कहता है कि जो मजदूर आदमी है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह एक बार में वह तीनों चीजें ले सके। फिर वह हर रोज लाइन में नहीं लग सकता क्योंकि सवेरे उसको बस में चढ़ना है या रेल में चढ़ना है, काम करना है, खेत पर जाना है और शाम को जब लौटता है तो फिर राशन की लाइन में खड़ा होना उसके लिए मुश्किल होता है। तो यह वास्तविकता से परे की बात लगती है। इसलिए जो भी आइटम आप को उसको देने हैं, वह एक वक्त पर देने हैं, ऐसा नियम आप बना सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी मिनिस्ट्री के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है। हमारे टेलीविजन पर, रेडियो पर—चाहे रामायण देखिए चाहे दूसरा केवल देखिये, चाहे चाणक्य देखिये—कुछ भी देखें तो उसके पहले और बाद में इतने एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते है कि देखते-देखते थक जाते है। आश्चर्य की बात यह है कि आजतक एक भी एडवर्टाइजमेंट में उसकी कीमत नहीं होती। वह भड़काते है। अजीब-अजीब तरीके से चीजों को आकर्षित करके कस्टमर को भड़काया जाता है, प्रोवोक किया जाता है। मजबूर किया जाता है मैगी खरीदने के लिए बच्चों को। बच्चा मां-बाप को कहता है मैगी चाहिए। आपने बच्चे को इतना भड़का दिया है वह उसे खरीदना चाहता है। ऐसे ही जैम-चाकलेट खरीदने के लिए बच्चा पीछे लगता है। कैच बिस्कुट का कभी बाप ने नाम नहीं सुना उसके लिए बच्चा पीछे लग जाता है कि मुझे वही बिस्कुट चाहिए। बिस्कुट के दाम बाप को पता नहीं कि 5 रुपये के आयेंगे, 10 रुपये के आयेंगे या 100 रुपये के आयेंगे। पर बाप फिर भी कहता है हां, बेटा दिला देंगे। चाहे कोई भी चीज हो, ध्रुमफान की वस्तु है जो मेरे लिए बेकार है, चाहे पेय पदार्थ हो—वह यही है पेप्सीकोला, ये सारी चीजें भड़काती हैं। लोगों को मजबूर किया जाता है इन चीजों को खरीदने के लिए भड़का करके, आकर्षित करके। लोग खरीदने जाते हैं पर दुख की बात है कि उस पर कीमत नहीं लिखी जाती। मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल पर बहस करते हुए यह मांग की थी जिस तरह से हर चीज के डिब्बे पर उसका दाम लिखना जरूरी है उसी तरह से उसका प्रचार करते वक्त भी उसका दाम लिखना जरूरी होना चाहिए क्योंकि उसमें मनमानी होती है। पीछे मैंने सुना है कि कोई एक मिस्टर जैन हैं। उन्होंने वाल्टेज के नाम पर केपिटल इलेक्ट्रानिक्स नाम से दुकान खोली।

माननीय सदस्य : यही डाक्टर जैन तो नहीं हैं ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : नहीं, यह नहीं है। उन्होंने दुकान खोल ली। उन्होंने अखबार में यह एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि वाल्टेज फ्रिज कम्पनी प्राइस से कम प्राइस पर दिया जायेगा। एक-दो रुपये नहीं 600 रुपये कम प्राइस पर दिया जायेगा। 1500 रुपये कम प्राइस पर दिया जायेगा। डिफरेंट साइज के फ्रिज पर डिफरेंट कीमत रखी गई थी। बहुत सारे लोगों ने अग्रिम पैसा जमा करा दिया। व्यापारी ने उनसे पैसा लेते वक्त 5-6 फ्रिज डिलीवर भी करा दिये। बाद में वह लोगों के ढाई, तीन लाख रुपये ले कर चम्पत हो गया। बोर्ड अभी लगा हुआ है। जिसकी वह दुकान है वह लोगों को यह कह रहा है कि मैं क्या करूं यह दुकान तो मैंने किराये पर दी थी। मुझे क्या पता उसने क्या किया। मेरा कहना यह है कि कीमत भी लिखी होनी चाहिए और इस पर अंकुश भी होना चाहिए। इस प्रकार की चीजों पर निगरानी रखने के लिए मंत्रालय में कोई प्रावधान है या नहीं ? इसके लिए प्रावधान होना बहुत जरूरी है।

महंगाई के बारे में कहना चाहता हूं जो सिविल सप्लाई से जुड़ा हुआ है। मुझे जहां तक पता है पिछले साल गेहूं की प्रोडेक्शन बहुत ज्यादा हुई, प्रोक्योरमेंट ज्यादा हुआ। हालात ऐसे हो गये कि एफ०सी०आई० के पास गोदामों में

रखने के लिए जगह नहीं थीं तो उन्होंने ओपन सेल में रखा । रोलर फ्लोर मिलों को उन्होंने खुली छूट दे दी और कोटे से ज्यादा व्हीट सप्लाई किया गया । हर चीज उपलब्ध है बाजार में, ज्यादा उपलब्ध है लेकिन इस सब के बावजूद उस पर नियंत्रण नहीं है । इस सब के बावजूद हम महंगी चीजें खरीद रहे हैं । जब कभी बाप-दादा के पास बैठते हैं तो वह कहते है कि तीन आने में तीन पसेरी चावल मिलता था हमारे जमाने में हम पसेरी और सेर के हिसाब से जोड़ने लगें तो . .

श्री कमालुद्दीन अहमद : दिमाग चकरा जाता है ।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवलिया : हां, दिमाग चकरा जाता है । कहा बैठे है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे है पता नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : मंत्री जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए तुरन्त प्रतिक्रिया दे दी ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए । हमारा देश बहुत बड़ा देश है । कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक मूल्य नियंत्रण के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है ? आपने कोई व्यवस्था अपने मंत्रालय के माध्यम से की है ? क्या आप प्राइस फिक्स करते हैं ? मुझे इतना इकनोमिक्स तो समझ में नहीं आता, लेकिन आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाते हैं । पता नहीं और भी क्या-क्या बनाते हैं । होल सेल प्राइस इंडेक्स बनाते है । लेकिन होल सेल प्राइस इंडेक्स में क्वींटल खरीदने वाले बहुत कम है । एक छटांक, दो छटांक खरीदने वाले बहुत है । बिहार में लोग सरसों का तेल, कड़वा तेल खरीदने जाते है और कहते है कि हमें दो छटांक तेल दीजिए । उस आदमी को रेट का कुछ पता नहीं होता है । दिल्ली से इंफारमेशन गावों में, देहातों में और ट्राइबल एरियाज में नहीं पहुंच पाती है । वहां बैठा हुआ आदमी चाहे किसी भी मजहब का हो, वह वहां की जनता को लूट रहा है और सूद दर सूद लिये जा रहा है । लोगों को अपने बच्चे पालने होते हैं । उन्हें उधार लेना पड़ता है । उस पर भी वे सूद लगाते हैं । इस प्रथा से आप कब लोगों को मुक्त करेंगे और कब तक इस देश में कम से कम मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू करेंगे ? आप चाहे जितनी भी प्रणालियां बना लें, जब तक मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू नहीं करेंगे, प्राइस कंट्रोल सिस्टम जब तक शुरू नहीं करेंगे, तब तक इस महंगाई पर चैक करना बहुत मुश्किल है । चीजें बाजार में उपलब्ध हैं । अगर चीजें नहीं मिलती हों तो तब कीमतें ज्यादा हो सकती हैं । लेकिन चीजें बाजार में उपलब्ध हैं । उसके बाद भी महंगी मिल रही हैं ।

आई०एस०आई० मार्क भी इन्हीं के अन्डर में आता है । आई०एस०आई० मार्क के बारे में प्रचार तो सुनने में आता है और बिजली के बारे में सुना जाता है कि किसी रूम हीटर या इमरशन रोड को एक बच्चा छूता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा दिखाया जाता है । यह एक्सीडेंट क्यों होता है, इसलिए कि वह आई०एस०आई० मार्क का नहीं था । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कितने घरों में हीटर उपलब्ध हैं ? यह तो उन लोगों के लिए है जिन घरों में बिजली उपलब्ध है । हमारे देश के छः लाख गांवों में हर जगह बिजली उपलब्ध नहीं है । ज्यादातर घरों में बिजली नहीं है । ऐसी स्थिति में उनके लिए आई०एस०आई० मार्क का क्या महत्व है ? आप उनको आई०एस०आई० मार्क की क्या चीज दे सकते हैं ? आई०एस०आई० मार्क की बड़े लोगों को जरूरत है । जो बड़े लोग है वे अमेरिकन स्टेंडर्ड से या ब्रिटिश स्टेंडर्ड से रहते हैं । इस देश की गरीब जनता, रूरल पोपूलेशन, को आप आई०एस०आई० मार्क की क्या चीज देना चाहते हैं ? उसके लिए आपने क्या प्रावधान किया है ? बहादुर शाह जफर मार्ग पर आपका बहुत बड़ा दफ्तर है । क्या ये लोग वाकई कोई चैकिंग करते है ? देहातों में पहुंचते है और वहां पर देखते हैं कि वहां पर क्या चीज नकली है और क्या चीज

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

असली है ? या फैक्ट्री से जो चीजें निकलती हैं वहीं पर आपकी चैकिंग हो जाती है ? हमारे देश में खाने के तेल की काफी खपत है। खाने के तेल का डायरेक्टोरेट आफ वेजीटेबल आयल, यह भी आपके अन्डर आता है। पर उसका काम क्या है ? उसका काम सिर्फ इम्पोर्ट करना है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे यहां करीब तीन सौ करोड़ का या तीन हजार करोड़ का तेल इम्पोर्ट होता है। यह काम यही डायरेक्टोरेट देखता है। क्या कभी उसने यह भी सोचा है कि हमारे देश में और भी क्या खाद्य तेल उपजाये जा सकते हैं ? क्या उस पर भी कोई कंट्रोल रखा जाता है कि किन-किन चीजों से खाद्य तेल की व्यवस्था की जा सकती है ?

4.00 P.M.

मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं नागालैंड गया, मिजोरम गया और अरुणाचल प्रदेश भी गया। मैंने देखा कि वहां के लोग तेल की बनी हुई चीजें नहीं खाते। पर इसके बावजूद आप इन स्टेटों को एडिबल आयल का अलोकेशन देते हैं। नागालैंड के लोग गेहूं नहीं खाते हैं, वे रोटी खाते ही नहीं, चावल खाते हैं पर इसके बावजूद आप वहां व्हीट का अलोकेशन देते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि यह जो एडीबल आयल आप स्टेट्स को अलोकेट कर रहे हैं, जिसकी वहां जरूरत नहीं है और सिर्फ कागज आपके यहां पहुंचता है और ये सारी चीजें कलकत्ता के व्यापारियों के पास पहुच जाती हैं और कलकत्ता के व्यापारियों के माध्यम से ये चीजें काले बाजार में बिक जाती हैं। क्या आप इसके बारे में कोई इन्कवायरी करते हैं ? आपका डाइरेक्टोरेट क्या कभी दिल्ली से बाहर निकलकर देखता है कि वहां की पापुलेशन क्या है, वहां के लोग किन-किन खाद्य पदार्थों को खाना पसंद करते हैं, वे क्या खाते हैं। क्या कभी इस बारे में वहां कोई चर्चा करते हैं ? इस बारे में पता लगाने की जरूरत है।

महोदय, सबसे जरूरी बात तो मैं यह समझता हूं कि इस मंत्रालय का पुनर्गठन किया जाये और पुनर्गठन करने के साथ साथ . . . (**व्यवधान**) . . . जैसे मैंने बताया कि एफ०सी०आई० इनके अंडर में नहीं है। . . . (**व्यवधान**) . . .

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब यह जो एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट है, इसको राज्य लागू करते हैं। यह राज्यों के अंडर में आता है। इसलिये इस बारे में राज्यों के साथ भी सामंजस्य होना चाहिये। उनके साथ भी बैठकर चर्चा होनी चाहिये और उनके साथ एक कोआर्डिनेशन होना चाहिये। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं अन्यथा जो हमारा सिविल सप्लाई मंत्रालय है—हम गर्व से तो कह सकेंगे कि हमारे यहां सिविल सप्लाई एक मंत्रालय है, लेकिन वह कितनी सफलतापूर्वक चलता है यह नहीं बता सकेंगे।

(**उपसभाध्यक्ष श्री शंकर दयाल सिंह पीठासीन हुए**)

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

ANNOUNCEMENT RE. SUPPLEMENTARY LIST OF BUSINESS

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मेरे आते ही आपने मेरे ऊपर कृपा की या मेरे ऊपर अपनी नाराजगी जाहिर की ?

Now, there is an announcement. The Supplementary List of Business is there. There are two Statements to be made. One is, Shri Arjun Singh to make a statement regarding Modification to the National Policy of Education (NPE), 1986, and also to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the followink papers: (1) National Policy on Education (NPE), 1986—Revised Policy formulations, and (2) Report of the CABE Committee on Policy.

The second statement is by Shri C. K. Jaffer Sharieff regarding derailment of 7022 Dn. Dakshin Express on South Central Railway on the 6th May, 1992.